दम मारो दम, नहीं कोई गम

संडे इन्वेस्टिगेशन

सिटी ब्यूटीफुल में विद्या मंदिरों के निकट धड़ल्ले से बिक रहे हैं नशीले पदार्थ

बलविंदर कौर
• चंडीगढ़, 22 जनवरी

सिटी ब्यूटीफुल में विद्या मंदिरों के बाहर धड़ल्ले से बिक रहे तंबाकू प्रोडक्ट्स ने देश के भविष्य को अंधकारमय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है।

कानूनन शिक्षा संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचना अपराध है पर इसके लिए दोषी को मात्र 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किए जाने से इस कानून की शहर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले तो प्रशासन की नजर दुकानदारों पर पड़ती ही नहीं है और अगर पड़ भी जाए तो 200 रु. का जुर्माना देकर नशीले पदार्थों का कारोबार महंगा सौदा नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैम्पस में बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाली तीन दुकाने हैं। तीनों का धंधा खूब चलता है। इसी तरह शहर के जाने-माने तकरीबन हर स्कूल के बाहर सौ मीटर के दायरे में धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं।

> स्कूलों के अंदर इस तरह के पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन स्कूलों के बाहर हो रही इस बिक्री को रोकना चंडीगढ़ पुलिस और नगर निगम का काम है।
>
> डीएस मांगट, डीपीआई स्कूल्स

भास्कर टीम ने शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजेस का दौरा करके 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को खुद देखा। यह बात दीगर है कि ज्यादातर दुकानदार टॉफी और अन्य खाने-पीने की वस्तुओं के साथ तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचते हैं।

वहीं स्कूल के अधिकांश कर्ता-धर्ताओं को इस बात का इल्म ही नहीं है कि केन्द्र सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी-सिगरेट और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में 1 सितंबर 2004 को केन्द्र सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी की थी। (शेष पेज 2 पर)

इन संस्थाओं के पास चलता है धं

- कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल-9
- सेक्रेड हॉर्ट सी. से. स्कूल-26
- सेंट कबीर पब्लिक स्कूल-26
- स्ट्राबरी फील्ड स्कूल-26
- जीएमएसएसएस-16
- जीएमएसएसएस-37
- नवोदय स्कूल, सेक्टर-25
- जीएमएसएसएस-33
- जीएमएचएस-38
- गुरु हरकृष्ण पब्लिक स
- गुरु नानक पब्लिक स
- दिल्ली पब्लिक स्कूल-
- शिवालिक पब्लिक स्
- सेंट एन्ज स्कूल-32
- सेंट जोसेफ सी. से. स
- दिव्या पब्लिक स्कूल-
- जीजीडीएसडी कॉलेज
- जीसीएम-11
- पंजाब यूनिवर्सिटी

दम मारो...

इस अधिसूचना के सेक्शन 6 (बी) के तहत शिक्षा संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थ बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है। 100 मीटर दायरा संस्था की बाउंडरी वॉल से शुरू होता है। ऐसा करने वाले पर इस अधिसूचना के तहत सजा हो सकती है। यह नियम 1 दिसंबर से पूरे देश में लागू है।

शहर की गैर सरकारी संस्था बर्निंग ब्रेन सोसायटी आईजी और प्रशासक तक को इस संबंधी सूचित कर चुकी है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सोसायटी के चेयरपर्सन हेमंत गोस्वामी ने कहा है कि अब वे इसके लिए कोर्ट का सहारा लेंगे।